न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 57 / 2024 रजि0 नं0 2024 / 45 प्रवेश तिथि 11.07.2024

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
चुन्नी लाल पुत्र हीरालाल निवासी मौहल्ला चाकरवारी, तिजारा रोड वार्ड न0 11 किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा पिन कोड–301405	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 26.07.2024

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से जरिये नोटिस क्रंमाक 1456 दिनांक 16.07.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 26.07.2024 को उपस्थित आवें।

4– अपीलार्थी नियत दिनाक को उपस्थित नही आया। लेकिन अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2024 को जर्ये रजिस्ट्रड डाक पेश किया गया है, जो पत्रावली में शामिल मिसल है। तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने जर्ये पत्र क्रंमाक 1470 दिनाक 19.07.2024 के द्वारा अपील का जवाब पेश किया गया है। जवाब के साथ संलग्न विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास को जारी पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 06.06.2024 की प्रति संलग्न की है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने जवाब में उल्लेखित किया है, कि अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2024 पर की जाने वाली कार्यवाही विकास

26/7/24

अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास से संबंधित होने के कारण जर्ये पत्र कमांक 1028 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित कियां गया है।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार/प्रावधानुसार सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/07/2024

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा